न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2023/87

1. नानू पुत्र स्व. श्री सुजा
2. तीजा देवी पत्नी स्व. श्री सुजा
3. रामलाल पुत्र स्व. श्री सुजा
4. कैलाश पुत्र स्व. श्री सुजा
5. कालू पुत्र स्व. श्री सुजा
6. मनभरी देवी पुत्री स्व. श्री सुजा
7. नैच्छी देवी पुत्री स्व. श्री सुजा
8. फूली देवी पुत्री स्व. श्री सुजा
9. काली देवी पत्नी स्व. श्री बाबू लाल पुत्रवधु स्व. श्री सुजा
10. गौतम पुत्र स्व. श्री बाबू लाल पौत्र स्व. श्री सुजा
11. उमेश पुत्र स्व. श्री बाबू लाल पौत्र स्व. श्री सुजा

समस्त जाति कुम्हार, निवासीयान लबाना, तहसील आमेर जिला जयपुर ।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर
2. जयपुर विकास प्राधिकरण, कार्यालय इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर। जरिये आयुक्त

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 23.01.2023 जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 13.10.1998 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को खारिज कर दिया गया।

उपस्थित—

1. श्री के.आर.शर्मा वकील अपीलान्ट्स।

निर्णय

दिनांक—27.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 23.01.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम लबाना, तहसील आमेर, जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 12 हाल खसरा नं. 277/2370 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा भूमि के तहसीलदार आमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 13.10.1998 स्वीकार कर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर के समक्ष पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2023 को मियाद अधिनियम की धारा–5 खारिज करते हुये अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 23.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 23.01.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट्स के पूर्वज स्व. श्री सुजा पुत्र स्व. श्री छोटू के नाम राजस्व ग्राम लबाना, तहसील आमेर, जयपुर में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा दिनांक 23.12.1966 को खसरा नंबर 12 जिसके हाल खसरा नंबर 277/2370 में रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी थी जिसका कब्जा भी अपीलांटस के पूर्वज सुजा उर्फ सूरज मल पुत्र छोटू को सुपुर्द कर दिया था। तत्पश्चात दिनांक 02.01.1966 को नामान्तकरण संख्या 110 के द्वारा अपीलांट्स के पूर्वज स्व. सुजा पुत्र छोटू का नाम उक्त आवंटित भूमि का खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। तदोपरान्त से ही अपीलांट के पूर्वज उक्त आराजीयात पर कृषि कार्य कर अपनी जीविकोपार्जन करते रहे । सुजा पुत्र स्व. श्री छोटू का दिनांक 30.01.1993 को देहावसान हो चुका है तथा उनके वारिसान उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर मौके पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते आ रहे है। उक्त भूमि अपीलांट के पूर्वजों के नाम से वर्ष 1966 से 1997 तक चौशाला जमाबंदी में काश्तकार का नाम खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। इसके अलावा सम्वत 2039 से 2040 तक चौशाला जमाबंदी सम्वत 2053 तक प्रभावी रही. है तथा काश्तकार का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। माह फरवरी 2020 में जब अपीलांट अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे तो रेस्पोडेंट संख्या 2 के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर आये तथा अपीलांट्स को कृषि कार्य करने से मना किया तथा उक्त आराजीयात अपने नाम से होना बताया । अपीलांट्स एक ही परिवार के अनपढ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो अनपढ होने के कारण उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही का ज्ञान नहीं हो सका। अपीलांट्स को उक्त नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी माह फरवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह में होने पर अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से दिनांक 25.02.2020 को नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उक्त नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई है। जानकारी होने के उपरान्त अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर वस्तु स्थिति से अवगत करवा कर संपूर्ण दस्तावेजात उपलब्ध करवा दिये। नामान्तकरण की नकल दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त की गयी है, जिसकी अपील कानूनन 30 दिवस की समयावधि दिनांक 27.03.2020 तक प्रस्तुत की जानी थी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान ना देकर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का खारिज फरमाते हुये अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाने में भारी कानूनी भूल की है। आवंटित भूमि पर अपीलांट्स के पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद उनके विरूद्व राज. भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकार समाप्त करते हुये रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया, जो विधि विधान के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर दिनांकः 23.01.2023 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 13.10.1998 निरस्त किया जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 13.10.1998 को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर द्वारा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं करने की दशा में अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 22 वर्षों बाद अपील पेश की गई थी एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 23.01.2024 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते। अतः अपील इसी स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 23.01.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।